भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2416
15 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

नई इस्पात स्क्रैप नीति

2416. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:
श्री नायाब सिंह सैनी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को देश की नई इस्पात-स्क्रैप नीति के माध्यम से कितना लाभ होने की संभावना है/किए जाने का विचार है;

(ख) क्या इससे देश के लोगों को लाभ हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उक्त नीति के अनुसार कितने स्क्रैप केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने स्क्रैप की बिक्री पर कोई प्रोत्साहन निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस्पात स्क्रैपिंग नीति के संबंध में अधिसूचना में शामिल किए गए मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है और उनके क्षेत्राधिकार क्या हैं और उक्त नीति के कार्यान्वयन में उनकी क्या प्रमुख भूमिका होगी?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (घ): सरकार ने इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को नवंबर, 2019 में अधिसूचित किया है। इस नीति में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक ढंग से प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु विखंडन केंद्रों की स्थापना को सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा दी गई है। सावर्जनिक क्षेत्र की इकाइयों /निजी क्षेत्र द्वारा स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना का निर्णय वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है।

(ङ): सरकार ने स्क्रैप की बिक्री पर कोई प्रोत्साहन निर्धारित नहीं किया है। यह स्क्रैप की बिक्री के समय प्रचलित दिशानिर्देशों और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

(च): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) की इस्पात स्क्रैपिंग नीति के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने एक वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों / निरूत्साहनों की व्यवस्था की गई है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने परिसंकटमय और अन्य अवशिष्टों के पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, पर्यावरणीय दृष्टि से उचित रूप में सुरक्षित भंडारण, शोधन और निस्तारण के लिए परिसंकटमय, और अन्य अवशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

*****